**RAJASTHAN HIGH COURT**
**LAWYERS' ASSOCIATION**
**JODHPUR**

**DILIP SINGH UDAWAT**
(President)
94141-35533

**DR. ARUN KUMAR JHAJHARIA**
(General Secretary)
94604-27149

**RAJASTHAN HIGH COURT**
**ADVOCATES' ASSOCIATION**
**JODHPUR**

**RANJEET JOSHI**
(President)
94141-30300

**DR. VIJAY CHOUDHARY**
(General Secretary)
94142-77981

**Ref: RHCLA/August/2026** **Date: 31.08.2026**

# —:प्रेस—विज्ञप्तिः—

## राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की आपात बैठक में न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता, गरिमा एवं जनविश्वास की रक्षा के लिए गंभीर मंथन

राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए तीन पत्रों के बाद उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों ने न्यायिक जगत में व्यापक चिंता उत्पन्न की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा लिखे तीन पत्रों में राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा के कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक आचरण के संबंध में गंभीर आपत्तियां एवं चिंता व्यक्त की गई हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार इन पत्रों में प्रशासनिक शक्तियों के कथित दुरुपयोग, मामलों की लिस्टिंग की प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप, पक्षपात तथा प्रशासनिक कुप्रबंधन जैसे गंभीर विषयों को उठाया गया है।

इन गंभीर एवं अत्यंत चिंताजनक परिस्थितियों को देखते हुए आज दिनांक 31 अगस्त 2026 को राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर की आपात बैठक आहूत की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्तागण – श्री हरदेव सिंह सिद्धू (खरलिया), श्री आनन्द पुरोहित, श्री गेनाराम पुनिया, श्री जगमाल सिंह चौधरी, श्री रवि भंसाली, श्री धीरेन्द्र सिंह चम्पावत, श्री सचिन आचार्य, श्री विनीत जैन, श्री विकास बालिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यगण – श्री रणजीत जोशी, श्री देवेन्द्र सिंह महलाना, श्री रतना राम ठोलिया, श्रीमति अंजलि कौशिक, बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारीगण सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण एवं युवा अधिवक्ताओं ने भाग लिया और वर्तमान परिस्थितियों पर गंभीर एवं विस्तृत मंथन किया।

बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्थान के न्यायिक इतिहास में ऐसी परिस्थितियां अत्यंत असाधारण हैं। न्यायपालिका केवल एक संस्था नहीं बल्कि संविधान, विधि के शासन और आम नागरिक के अंतिम विश्वास का प्रतीक है। यदि न्यायिक संस्था के संबंध में उठे गंभीर प्रश्नों का समयबद्ध, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी समाधान नहीं होता है तो इसका सीधा प्रभाव आम जनता के न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास पर पड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी एसोसिएशन द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे गये हैं।

बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि बार का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अभियान चलाना नहीं, बल्कि न्यायिक संस्थान की गरिमा, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और आम जनता के विश्वास की रक्षा करना है।

विस्तृत चर्चा एवं गहन विचार–विमर्श के उपरांत बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के वरिष्ठतम माननीय न्यायाधीशगण के समक्ष त्रि–सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया जाए :–

**1. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से विरत रखा जाए।**
वर्तमान में उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों एवं लगाए गए आरोपों को देखते हुए निष्पक्षता और संस्थागत विश्वास बनाए रखने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक एवं प्रशासनिक दायित्वों से विरत रखने की मांग की गई, ताकि संबंधित विषयों पर निष्पक्ष प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

**RAJASTHAN HIGH COURT**
**LAWYERS' ASSOCIATION**
**JODHPUR**

**DILIP SINGH UDAWAT**
(President)
94141-35533

**DR. ARUN KUMAR JHAJHARIA**
(General Secretary)
94604-27149

**RAJASTHAN HIGH COURT**
**ADVOCATES' ASSOCIATION**
**JODHPUR**

**RANJEET JOSHI**
(President)
94141-30300

**DR. VIJAY CHOUDHARY**
(General Secretary)
94142-77981

**2. राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए।**

अधिवक्ताओं ने मांग की कि राजस्थान उच्च न्यायालय को शीघ्र स्थायी एवं पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश प्रदान किया जाए, जिससे न्यायालय की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायित्व, निरंतरता और प्रभावी नेतृत्व प्राप्त हो सके।

**3. संपूर्ण राजस्थान में टार्गेटेड फाईल सिस्टम को तत्काल बंद किया जाए।**

बैठक में प्रदेशभर में चलाए जा रहे टार्गेटेड फाईल सिस्टम पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अधिवक्ताओं का मत था कि मामलों को केवल दीर्घ समय से लंबित होने के आधार पर लक्षित तरीके से निस्तारित करने की प्रक्रिया से न्यायिक कार्यप्रणाली के साथ–साथ अधिवक्ताओं के सामान्य पेशेवर जीवन पर भी अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं का वर्क–लाईफ बैलेंस पूरी तरह प्रभावित हो रहा है तथा प्रदेशभर में बार के सदस्यों में व्यापक असंतोष एवं कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अतः इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की गई।

## राजस्थान के अधिवक्ताओं से व्यापक आह्वान

बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषयों को लेकर संपूर्ण राजस्थान में अधिवक्ता एवं जनता आहत है। लिहाजा न्यायपालिका की गरिमा एवं आम–जन में विश्वास बनाये रखने हेतु अधिवक्ताओं का व्यापक आह्वान किया जाएगा। प्रदेश की समस्त बार एसोसिएशनों को पत्र लिखकर भी इस व्यापक आंदोलन में सहभागी बनने हेतु आग्रह करने का निर्णय किया गया।

**बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि:–**

"हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में जनविश्वास की रक्षा के लिए है। बार और बेंच दोनों की गरिमा तभी सुरक्षित रह सकती है जब न्यायिक संस्थान निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता और विश्वास के सर्वोच्च मानकों पर कार्य करे।"

बैठक में यह भी संकल्प व्यक्त किया गया कि राजस्थान की न्यायिक संस्था की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, बार की गरिमा तथा आम–जन के न्यायपालिका में अटूट विश्वास को बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण राजस्थान का अधिवक्ता समुदाय एकजुट होकर आवश्यक संवैधानिक एवं संस्थागत कदम उठाएगा। आपात बैठक में उपस्थित समस्त सम्मानित अधिवक्ताओं की एकराय से ये निर्णय लिया गया कि दिनांक 06.09.2026 तक अधिवक्तागण स्वैच्छिक रूप से समस्त न्यायालयों में व्यक्तिशः/वर्चुअल रूप से उपस्थिति नहीं देते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगें। इस संबंध में एक संघर्ष समिति का गठन करते हुए आगामी रणनीति तय की जायेगी।

**दिलीप सिंह उदावत**
**अध्यक्ष**

**रणजीत जोशी**
**अध्यक्ष**

**डॉ. अरूण कुमार झाझड़िया**
**महासचिव**

**डॉ. विजय चौधरी**
**महासचिव**